प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.....वर्ष .....**2022**.....
2. प्र.इ.रि.सं.....03...../**2022**..... दिनांक .....7/1/2022.....
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा –**7**.....
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – .....–.....
   (III) * अधिनियम.....–..... धाराएं.....–.....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....187.....समय.....7.00 PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– ....गुरूवार **दिनांक 06.01.2022 वक्त 03:10 पीएम**.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – .....29.12.2021 वक्त 01:00 पी.एम..... .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **बजानिब उत्तर–पश्चिम करीब 5 किलोमीटर**
   (ब) पता – कार्यशाला, उ.प. रेलवे, लालगढ, बीकानेर
   बीटसंख्या.....–.....जुरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–.....
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा**
   (ब) पिता/पति का नाम – **श्री रामचन्द्र**
   (स) जन्म तिथि/आयु – 60 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि.... जारी होने की जगह .....
   (र) पेशा – सेवा निवृत तकनीशियन I
   (ल) पता – शास्त्री सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, गली नम्बर–01, रामपुरा–बीकानेर हाल सेवानिवृत तकनीशियन–प्रथम, उ.प.रेलवे कार्यशाला, लालगढ, बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
8. **नरेन्द्र सिवासिया पुत्र श्री पांचुलाल सिवासिया निवासी मकान नम्बर 1581, द्वारका नगर–गली नम्बर 02, करण जनरल स्टोर के पास, वैशाली नगर चौरसियाबास रोड़, अजमेर हाल निवासी मकान कृष्णाकुन्ज श्री हनुमान सिंह शेखावत, आबकारी थाने के पास सिविल लाईन बीकानेर हाल सहायक कार्मिक अधिकारी कार्यशाला, उ.प. रेलवे लालगढ बीकानेर।**
9. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
11. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य रिश्वती राशि **12,000/– रूपये** .....–.....
12. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....–.....
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा, निवासी शास्त्री सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, गली नम्बर–01, रामपुरा–बीकानेर हाल सेवानिवृत तकनीशियन–प्रथम, उ.प.रेलवे कार्यशाला, लालगढ, बीकानेर ने कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रपोर्ट मन पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के समक्ष इस आशय की पेश की कि सेवा में, श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर विषयः– रिश्वत मांगे जाने की शिकायत। मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी रेलवे वर्कशॉप लालगढ़ में तकनीशियन–प्रथम के पद पर कार्यरत था और दिनांक 31.07.2021 अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति पर नियमानुसार मिलने वाला कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट रू. 42,080/– का क्लेम विधिवत रूप से समयावधि के अंतर्गत दिनांक 27.10.2021 को प्रार्थी ने कार्यशाला लालगढ़ में प्रस्तुत कर दिया था, जिसकी छाया प्रति मान्यवर के सुसंज्ञान हेतु संलग्न है। किन्तु मान्यवर, बार बार संबंधित अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिवासिया, सहायक कार्मिक अधिकारी, कार्यशाला, लालगढ़ –बीकानेर से सम्पर्क करने के बावजूद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया

है। तदोपरान्त, प्रार्थी दिनांक 28.12.2021 को पुनः उक्त अधिकारी श्री नरेन्द्र सिवासिया से सम्पर्क करने गया, और मैंने नियमानुसार देय भुगतान करने का आग्रह किया। तब उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बिठा लिया, चाय पिलाई और मुझे उपरोक्त भुगतान करने की एवज में रू. 12,000/– रिश्वत के रूप में मांग की और कहा कि कल शाम 4.30 बजे तक हरहाल में तारा स्टूडियो, जो मंडल रेलवे अस्पताल लालगढ़ के ठीक सामने स्थित है, पर नकद दें। अतः अब मुझे आज दिनांक 29.12.2021 को सॉय 4.30 बजे उक्त तारा स्टूडियो पर मांगी गई रकम 12,000/– पहुॅचाने है। मान्यवर आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया प्रार्थी की शिकायत का सत्यापन करते हुए इस भ्रष्ट अधिकारी को नियमानुसार अपनी योजनानुसार ट्रेप की कार्यवाही करने की कृपा करके मुझे अनुग्रहीत करें। सम्मान सहित, संलग्नः यथोक्त क्लेम की छाया प्रति। दिनांकः 29.12.2021 प्रार्थीः हस्ताक्षर परिवादी राजेन्द्र कुमार शर्मा, (राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा) सेवानिवृत तकनीशियन–प्रथम, उ.प.रेलवे कार्यशाला, लालगढ, बीकानेर। पताः शास्त्री सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, गली नम्बर–01, रामपुरा–बीकानेर (राज.) मो.–9214834882

परिवादी राजेन्द्र कुमार शर्मा की लिखित शिकायत का अवलोकन किया गया। मजीद दरियाफत पर श्री राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी शास्त्री सीनियर सैकेंडरी स्कूल के पास, गली नं 1 रामपुरा बीकानेर (राजस्थान) ने बताया कि मैं तकनीशियन के पद से रेलवे वर्कशाप लालगढ से दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्ति पर मुझे 42080 रुपये का कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट देय है जिसका क्लेम नरेंद्र कुमार सिवासिया, सहायक कार्मिक अधिकारी लालगढ बीकानेर को दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था। परंतु अब तक मुझे भुगतान नहीं किया गया है। मैं नरेंद्र सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी से मिलकर कई बार निवेदन कर चुका हूं। दिनांक 28.12.2021 को पुनः उक्त अधिकारी से वर्कशाप में इनके कक्ष में मिला तो मेरे से ट्रांसफर ग्रांट की एवज में 12000 रुपये रिश्वत की मांग की और मुझे आज 04:30 पीएम बजे तक बुलाया है तथा रिश्वत राशि 12000 रुपये वहीं पास में स्थित तारा स्टूडियो पर नकद देने के लिए कहा है। मैं नरेंद्र कुमार सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मैंने मेरे ट्रांसफर ग्रांट का आवेदन दिनांक 27.10.2021 को दिया हुआ है इसके अलावा मेरे निजी सामान की ढुलाई के खर्च की प्रतिपूर्ति का भी आवेदन मैं आज सहायक कार्मिक अधिकारी नरेंद्र कुमार सिवासिया के पास प्रस्तुत करुंगा तो वह कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट व आज प्रस्तुत करने वाले आवेदन निजी सामान की ढुलाई के खर्च की प्रतिपूर्ति के कार्य लिए पुनः रिश्वत राशि की मांग करेगा। मेरी नरेंद्र कुमार सिवासिया से कोई रंजिश नहीं है, न ही कोई उधारी लेन–देन है। मैं नरेंद्र कुमार सिवासिया को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे सेवा अभिलेख में मेरा स्थायी पता बी–101, ईशानिया फलारेंदा, गायित्री पेट्रोल पंप के पीछे, उंडेरा गोरवा, वडोदरा, जिला वडोदरा–गुजरात पिन 391310 है। इस कारण मुझे सरकारी नियमानुसार कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट व निजी सामान की ढुलाई के खर्च की प्रतिपूर्ति की राशि देय है। यह प्रार्थना पत्र मैं मेरे परिचित से कंप्यूटर पर टाईप करवाकर लाया हूं जिस पर बतौर प्रार्थी मेरे ही हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट परिवादी एवं मजीद दरियाफत से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाया जाने से श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर जो अवकाश पर हैं, को जरिये दूरभाष निवेदन किया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के संबंध में प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मैं आज श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी से लालगढ वर्कशाप में उनके कार्यालय में व्यक्तिगत संपर्क करके सत्यापन वार्ता करवा सकता हूं। इस पर श्री मनोहरलाल कानि. 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर चौकी के मालखाना से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड लाने के निर्देश पर श्री मनोहरलाल कानि ने मालखाना प्रभारी श्री बजरंग सिंह हैड कानि. 54 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। श्री मनोहरलाल कानि का मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से परिवादी एवं श्री मनोहरलाल कानि. को समझाया गया एवं नया मेमोरी कार्ड डिजिटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित किया गया। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आज लंच के बाद करीब 03:00 पीएम के आस पास श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया अपने कार्यालय में मिल पाएंगें। इसलिए मैं सत्यापन हेतु 03:00 पीएम पर वहां पहुंचुंगा तो उचित रहेगा। इस पर श्री मनोहरलाल कानि को मय परिवादी कार्यालय में मुकीम रहने के निर्देश दिए। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 02:45 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि 115 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा के

साथ रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने हेतु रेलवे वर्कशाप लालगढ बीकानेर के लिए रवाना किया गया जो वक्त 04:00 पी.एम. वापिस कार्यालय आये। श्री मनोहरलाल कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यहां से हम दोनों अलग–अलग व्यक्तिगत साधन से रवाना होकर रेलवे वर्कशॉप लालगढ के नजदीक पहुंचे जहां पर मनोहरलाल जी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे चालू करके सुपुर्द किया। फिर मैं अपने साधन से श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया से संपर्क करने वर्कशॉप के अंदर गया। श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया से मेरी मेरे काम के संबंध में वार्ता हुई। वार्ता के दौरान श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया ने मेरे से मेरा कार्य करने की ऐवज में वन फाईव अर्थात् 15000 रुपये रिश्वत की मांग की है। जो वार्ता रिकॉर्ड है। सत्यापन में गए श्री मनोहरलाल कानि ने भी परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द करना एवं परिवादी संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करके वापस आने पर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखने की ताईद की। परिवादी व मनोहरलाल कानि के रुबरु डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो इसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय कंप्यूटर पर कनैक्ट करके रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता अनुसार ''आरोपीः– वन फाईव कर दो बस, परिवादीः– हं, आरोपीः–वन फाईव सीधा सीधा, परिवादीः– वन फाईव, आरोपीः– ठीक है।'' इस प्रकार रिकॉर्ड वार्ता में आए तथ्यों के अनुसार आरोपी चतुर चालाक स्वभाव में परिवादी से सांकेतिक भाषा में वन फाईव अर्थात् परिवादी के अनुसार 15000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, वार्ता के दौरान ''परिवादी द्वारा–तारा स्टूडियो दे दूं', आरोपीः–हं, परिवादीः–बात हो गई आपकी, आरोपीः–हां बिल्कुल'' के संबंध में परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत की गई लिखित शिकायत से पूर्व आरोपी ने मेरे से 12000 रुपये रिश्वत के मांगे थे जो राशि मुझे वर्कशॉप के पास ही स्थित तारा स्टूडियो को देने के लिए कहा था। इसलिए वार्तालाप के दौरान मैंने तारा स्टूडियो वाले का नाम ले लिया था। परंतु तारा स्टूडियो वाले से मेरे बैग को लेकर कोई बहस हो रखी है। इसलिए तारा स्टूडियो मेरे से नरेंद्र कुमार जी के लिए 15000 रुपये ले भी सकता है और नहीं भी ले। आरोपी ने पूर्व में मेरे से ट्रांसफर ग्रांट स्वीकृत करने की ऐवज में 12000 रुपये रिश्वत की मांग की थी परंतु आज मैंने अलग से एक प्रार्थना पत्र निजी सामान की ढुलाई के खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रस्तुत करने पर आरोपी ने रिश्वत मांग की राशि 12000 रुपये से बढाकर वन फाईव अर्थात् 15000 रुपये की मांग की है। चूंकि आरोपी ने परिवादी से सांकेतिक भाषा में 15000 रुपये रिश्वत की मांग की है तथा वार्ता अनुसार आरोपी की ओर से रिश्वती राशि तारा स्टूडियो पर देने की स्थिति को स्पष्ट करवाया जाना उचित प्रतीत होने से इस संबंध में श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को पुनः सत्यापन करवाए जाने हेतु अवगत करवाने पर परिवादी ने बताया कि मैं फिर से संदिग्ध अधिकारी से रुबरु होकर स्पष्ट सत्यापन करवा दूंगा परंतु मैं आज ही फिर से उनसे मिलूंगा तो शक हो सकता है। कुछ दिन बाद फिर से मैं उनसे कार्यालय में मिलकर स्पष्ट वार्ता कर सत्यापन करवा दूंगा। उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरखित रखा। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत की गई एवं आरोपी की ओर से कोई कॉल आने पर अविलंब मन् पुलिस निरीक्षक से संपर्क करने के निर्देश देकर रुखसत किया गया।

दिनांक 04.01.2022 को वक्त 02:00 पीएम पर परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ब्यूरो कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। बताया कि मैं आज नरेंद्र कुमार सिवासिया से रुबरु होकर स्पष्ट सत्यापन करवा सकता हूं। श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया आज वर्कशॉप में मौजूद है। इस पर श्री भगवानदास कानि को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाया तथा मौजूदा परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा से आपसी परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा करवाए जा रही कार्यवाही के तथ्यों के संबंध में श्री भगवानदास कानि को अवगत करवाया गया। श्री भगवानदास कानि को ट्रैप कार्यवाही में पूर्व में प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया तथा अवगत करवाया गया कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में इस कार्यवाही से संबंधित पूर्व से दिनांक 29.12.2021 की एक ऑडियो क्लिप परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता की है, इसी कम में पुनः सत्यापन करवाया जाना है। तत्पश्चात् श्री भगवानदास कानि के साथ परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को वास्ते सत्यापन वर्कशॉप उत्तर पश्चिम रेलवे लालगढ के लिए रवाना किया गया जो वक्त 03:20 पीएम पर उपस्थित आये। श्री भगवानदास कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत करते हुए बताया कि हम दोनों यहां से अपने अपने निजी साधन से रवाना होकर लालगढ स्थित रेलवे की वर्कशॉप से कुछ पहले पहुंचे। वहां से परिवादी राजेंद्र कुमार शर्मा को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द किया था। परिवादी वार्ता

करके पूर्व निर्धारित स्थान पर मेरे पास वापस आया तो मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर को बंद करके अपने पास ले लिया था। परिवादी ने बताया कि मैं आज डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करवाकर प्राप्त करके श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया से वर्कशॉप में मिलकर वार्ता की आरोपी नरेंद्र कुमार सिवासिया 15000 रुपये में से कम करते हुए कागज पर लिखकर 12000 रुपये रिश्वत की मुझसे मांग की है। वार्ता के दौरान मैंने कुछ कम करने का उनसे निवेदन किया था, तब पहले एक हजार रुपये कम कर रहे थे। मैंने और रिक्वेस्ट की तो फिर कागज पर 12000 रुपये लिखकर मुझे दिखाकर कहा कि अब यह डन है। इस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके चैक किया गया तो दिनांक 04.01.2022 की एक ऑडियो क्लिप सेव है जिसको चालू करके वार्ता सुनी गई तो परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 04.01.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 29.12.2021 एवं दिनांक 04.01.2022 की डीवीडी तैयार की गई। परिवादी ने बताया कि मैंने वार्ता के दौरान एक दो दिन का समय लिया है। आरोपी मेरे से रिश्वत लिफाफे में ही लेगा तथा रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही परसों दिनांक 06.01.2022 को ही किया जाना ठीक रहेगा। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को हिदायत की गई कि कार्यवाही के लिए आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था करके परसों दिनांक 06.01.2022 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवें। बाद हिदायत परिवादी को रुखसत किया गया।

दिनांक 06.01.2022 को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की तलबी की गई। इसी दौरान पूर्व वार्ता अनुसार परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा कार्यालय में उपस्थित आए। परिवादी ने बताया कि कार्यवाही हेतु 12000 रुपये की व्यवस्था कर लाया हूं। आज श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया से लंच के बाद ही संपर्क करना उचित रहेगा। इस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में मुकीम रहने के निर्देश दिए गए। कुछ देर बाद तलबशुदा गवाह श्री राजवीर सिंह हैड कानि 115 के हमराह कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर से श्री दिवाकर गहलोत–जेएलओ एवं श्री राजकुमार सेवग–वरिष्ठ सहायक उपस्थित आये। श्री दिवाकर गहलोत–जेएलओ एवं श्री राजकुमार सेवग–वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय में बुलाए जाने पर प्रयोजन बताकर ब्यूरो कार्यालय में मुकीम रखा। वक्त 01:40 पीएम पर परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा एवं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर से उपस्थित आये हुए श्री दिवाकर गहलोत व राजकुमार सेवग को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाया गया तथा परिवादी का श्री दिवाकर गहलोत एवं राजकुमार सेवग से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के संबंध में श्री दिवाकर एवं राजकुमार को तथ्यों से अवगत करवाया गया तथा आरोपी अधिकारी द्वारा की जा रही रिश्वत मांग के सत्यापन के संबंध में भी अवगत करवाते हुए परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया। तत्पश्चात् ब्यूरो की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति चाहे जाने पर श्री दिवाकर गहलोत व राजकुमार ने अपनी अपनी तरफ से स्वैच्छिक सहमति प्रकट की। इस पर दोनों को ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रुबरु गवाहान परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने कार्यवाही हेतु अपने पास से 2000 रुपये के 5 नोट एवं 500 रुपये के 4 नोट भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के प्रस्तुत किए:–

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1	एक दो हजार रूपये का नोट	5KG 729505
2	एक दो हजार रूपये का नोट	9DS 432432
3	एक दो हजार रूपये का नोट	1FB 061818
4	एक दो हजार रूपये का नोट	9HB 465454
5	एक दो हजार रूपये का नोट	7AS 589544
6	एक पांच सौ रूपये का नोट	6FD 099144
7	एक पांच सौ रूपये का नोट	2VS 321396
8	एक पांच सौ रूपये का नोट	2DA 971518
9	एक पांच सौ रूपये का नोट	9CF 362107

उक्त नोटो पर मालखाना से श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि से फिनोल्फथलीन पाउड़र की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उक्त नोटो को रखवाकर श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. से फिनोल्फथलीन पाउड़र लगवाया, तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत सफेद लिफाफा पर भी फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटो को लिफाफे में डाले जाकर नम्बरी नोटों का लिफाफा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की तलाशी गवाह श्री राजकुमार सेवग से लिवाई जाकर परिवादी के पास कुछ भी नही रहने पर उक्त लिफाफा (साईज करीब 25×11 सेमी.) परिवादी के पहने हुए शर्ट

की साईड की बायी जेब में श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि से रखवाए गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर, रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेनदेन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर ही उसे देवे, रिश्वती लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि/सफेद लिफाफे को नही छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे ''अपने मुँह पर लगे मास्क को हटाकर वापिस लगाकर'' इशारा करे, ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9785180848 पर मिस्ड कॉल देकर इशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर इस गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन धोल के गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की आपसी रसायनिक प्रतिकिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटो पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धोकर कार्यालय में ही रख दिया गया। श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने–अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल डिवाईस रिकार्डर सुपुर्द कर हिदायत की गई की इस डिजीटल डिवाईस रिकार्डर में आरोपित से रिश्वती लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 02:45 पीएम पर परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को श्री भगवानदास कानि के साथ स्कूटी पर रवाना कर इनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार सेवग, दिवाकर गहलोत ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंग सिंह हैड कानि, प्रेमाराम कानि, हरीराम कानि एवं मनोहरलाल कानि के मय ट्रैप साम्रगी हमराह लेकर जरिये निजी कार एवं मोटरसाइकिल से बजानिब लालगढ वास्ते ट्रैप कार्यवाही रवाना होकर वक्त 03:00 पी.एम पर हमराही सभी के उत्तर पश्चिम रेलवे वर्कशॉप लालगढ, के नजदीक पहुंचे। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी से संपर्क करने हेतु वर्कशॉप के अंदर रवाना कर इनके पीछे पीछे श्री भगवानदास कानि, बजरंग सिंह हैड कानि व प्रेमाराम कानि को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों गवाहान व मनोहरलाल कानि, हरीराम कानि. के वर्कशाला गेट में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए प्रवेश होकर पास ही स्थित कार्मिक शाखा प्रशासनिक भवन एवं मुख्य गेट आम सडक के पास ईर्द गिर्द मुकीम होकर ट्रैप जाल बिछाया।

वक्त 3:10 पी.एम. पर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने कार्यालय सहायक कार्मिक अधिकारी उ.प. रेलवे कार्यशाला बीकानेर की कार्मिक शाखा के गेट से बाहर श्री भगवानदास कानि. के पास आकर पूर्व निर्धारित ईशारा ''अपने मुँह से मास्क हटाकर'' करने पर मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं हमराही ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंगसिंह हैड कानि., प्रेमाराम कानि., हरिराम कानि. एवं मनोहरलाल कानि. के अविलम्ब परिवादी एवं श्री भगवानदास कानि. के पास पहुंचे। परिवादी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित लिया। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने बताया कि श्री नरेन्द्र कुमार सिवासिया अपने कक्ष से उठकर मेरे पीछे–पीछे ही चलकर हॉल में आकर खड़े हो गये हैं, अभी नरेन्द्र कुमार सिवासिया कार्मिक शाखा के भवन में खड़े है। मैने उनसे उनके चेम्बर में मेरे कम्पॉजिट ट्रान्सफर ग्रांट एवं घरेलू सामान ट्रान्सपोर्ट भत्ता बिल पास करने के सम्बन्ध में बातचीत की, तब श्री नरेन्द्र कुमार सिवासिया ने मेरे से पूर्व तय अनुसार रिश्वती राशि के सम्बन्ध में चेहरे व अंगुली से ईशारे से पुछा तो मैनें कहा साहब 12,000/– रूपये लेकर आया हूं, मैं 12,000/– रूपये रिश्वती राशि का लिफाफा सिवासिया जी को देने लगा तब मेरे से अपने साईड में रखी टेबल पर टिफीन के नीचे रखवा लिया, लिफाफा टिफीन के नीचे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं हमराही सभी को साथ लेकर कार्मिक शाखा में परिवादी के बताये अनुसार प्रवेश हुए तो हॉल के अन्दर एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति की तरफ ईशारा एवं अपने मुँह से बोलते हुए बताया कि साहब यही नरेन्द्र जी सिवासिया है। जिस पर परिवादी के द्वारा बताये गये व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराही सभी का परिचय देते हुए आने का मकसद बताया तथा इनसे पूर्ण परिचय पुछने पर अपना नाम नरेन्द्र सिवासिया पुत्र श्री पांचुलाल सिवासिया निवासी मकान नम्बर 1581, द्वारका नगर–गली नम्बर 02, करण जनरल स्टोर के पास, वैशाली नगर चौरसियाबास

रोड़, अजमेर हाल निवासी मकान कृष्णाकुन्ज श्री हनुमान सिंह शेखावत, आबकारी थाने के पास सिविल लाईन बीकानेर होना बताया। श्री नरेन्द्र सिवासिया से परिवादी राजेन्द्र कुमार शर्मा से 12,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का पुछने पर बताया कि साहब मैने राजेन्द्र कुमार शर्मा से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, अभी –अभी कुछ देर पहले यह मेरे पास मेरे चेम्बर में आये थे, मैने राजेन्द्र जी को मेरे सामने कोर्नर की चेयर पर बिठाया था, इन्होनों अपनी प्रॉब्लम बताई कि सी.टी. जी.(कम्पॉजिट ट्रान्सफर ग्रांट) का बिल पास करवाओ। तब मैने इनको बता दिया कि आपकी फाईल चालु हो गई है, इसके बाद राजेन्द्र जी यहां से उठकर बाहर चले गये थे, मैं मेरे काम में लग गया। इस पर आरोपी से पुछा गया कि जब यह आपके सामने बैठकर आपसे बातचीत करके बाहर चले गये तो यह टिफीन के नीचे लिफाफा रिश्वती राशि का लिफाफा कैसे आया, इस पर आरोपी ने बताया कि साहब इस बारे में मुझे मालूम नहीं है। यह बताते हुए आरोपी ने मायूस होकर गर्दन नीचे कर ली। रिश्वती राशि का लिफाफा परिवादी ने आरोपी के टिफीन के नीचे होना बताया है, बरूबरू गवाहान मय हमराहियान के आरोपी के कक्ष का निरीक्षण किया तो आरोपी की सीट के बिल्कुल पास बांयी साईड में एक टेबल के उपर रखे टिफीन के नीचे लिफाफा रखा हुआ दिखाई दे रहा है, यथास्थिति की दो फोटो मन पुलिस निरीक्षक ने मोबाईल से क्लिक की है, जो पत्रावली में शामिल की जावेगी। तत्पश्चात डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालु करके सुना गया तो परिवादी के कथनानुसार रिश्वती राशि का लिफाफा आरोपी द्वारा टिफीन के नीचे रखवाने की पुष्टि होती है। इस पर हमराही गवाह श्री दिवाकर गहलोत से टिफीन के नीचे रखे लिफाफे को उठवाकर दिखवाया गया तो लिफाफे के अन्दर दो–दो हजार एवं पांच–पांच सौ रूपये के नोट दिखाई दिये, जो उक्त गवाह से निकलवाकर गिनवाने पर दो–दो हजार रूपये के पांच नोट एवं पांच–पांच सौ के चार नोट कुल राशि 12,000/– रूपये होना बताई। जिनके नम्बरो का मिलान पूर्व में तैयारशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नम्बरो से करवाने पर नोटो के नम्बर फर्द के अनुसार हूबहू पाये गये जिनको सफेद कपड़े के साथ सीलचीट कर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं सफेद लिफाफा पर भी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त रिश्वत राशि टेबल एवं टिफीन के बीच से बरामद हुई के स्थान का धोवन लेने हेतु ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलावकर उसमें श्री हरिराम क़ानि. के जरिये सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया, जो सभी हाजरीन ने देखकर रंगहीन होने की ताईद की। तत्पश्चात एक सफेद कपड़े की चिन्दी को रिश्वती राशि का लिफाफा बरामदगी स्थान टेबिल के उपर एवं टिफीन के नीचे के भाग पर रगड़कर रंगहीन घोल में डुबोने पर घोल का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सीलचीट कर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। चुंकि रिश्वती राशि टिफीन के नीचे से बरामद हुई है, दो खन टिफीन स्टील बतौर वजह सबूत आवश्यक होने से टिफीन को खाली करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में टिफीन को सीलचीट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर टिफीन को कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के पेण्डिंग भुगतान सम्बन्धी बिल का पुछने पर बताया कि राजेन्द्र जी के कम्पॉजिट ट्रान्सफर ग्रांट की नोटशीट मेरे समक्ष श्री देवेन्द्र कुमार मुख्य कार्यालय अधीक्षक ने करीब तीन–चार दिन पहले पेश की थी। मैने पत्रावली नोटशीट बाद अनुमोदन सी.डब्ल्यू.एम. (मुख्य कारखाना प्रबन्धक) को प्रेषित कर दी। इनकी पत्रावली मेरे पास पेण्डिग नहीं है। पत्रावली सेक्शन में सी.डब्ल्यू.एम. से प्राप्त हो गई है तो मुझे जानकारी नहीं है। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने स्वतः ही बताया कि साहब सत्यापन के दौरान दिनांक 29.12.2021 को मैने एक प्रार्थना पत्र सामान ढुलाई भत्ता का बिल जो राशि करीब 20000/– रूपये बनती है प्रस्तुत की थी वो भी इनके पास ही लम्बित है। इस सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि इन्होने दिनांक 29.12.21 को जो प्रार्थना पत्र सामान ढुलाई भत्ता के लिए प्रस्तुत किया था वो प्रार्थना पत्र पत्रावली पर संलग्न कर मुख्य कार्यालय अधीक्षक के द्वारा आवश्यक स्वीकृति हेतु पत्रावली पर रखा गया था जिसे नियमो के अन्तर्गत मुख्य कारखाना प्रबंधक के समक्ष अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु भेज दिया, मेरे पास लम्बित नही है। उक्त धोवन में प्रयुक्त की गई कपड़े की चिन्दी को सुखाकर चिन्दी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर चिन्दी को खाकी लिफाफे में डालकर लिफाफे पर भी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीलचीट कर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं धोवन कार्यवाही मुर्तिब की गई। वजह सबूत को सीलमोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामील पत्रावली किया गया। आरोपी नरेन्द्र सिवासिया को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। परिवादी से सम्बंधित दस्तावेज की प्रमाणित फोटों प्रतिया जब्त की गई। वक्त रिश्वत

लेनदेन की रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लैबटॉप पर कनैक्ट करके रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब कर रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार कर फर्द व डीवीडी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक डीवीडी सफेद कपडे की थैली में सील चिट किया गया। मूल मेमोरी कार्ड को सेफटी कवर में डालकर सफेद कपडे की थैली में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। वजह सबूतों को सील मोहर में प्रयुक्त की गई सील को तोडकर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। नरेंद्र कुमार सिवासिया की टेबल व कमरे में रखे दस्तावेज का रुबरु गवाहान के तलाशी कार्य किया गया। मौका की कार्यवाही पूर्ण कर वक्त 09:40 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ़्तारशुदा आरोपी नरेंद्र सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी, ब्यूरो स्टाफ मय दोनों गवाहान, ट्रैप कार्यवाही में जब्तशुदा वजह सबूत हमराह लेकर मौके पर तलबशुदा टवेरा गाडी चालक ज्ञानेंद्र सिंह एवं निजी कार, मोटरसाइकिल से ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए रवाना होकर चौकी हाजा पंहुचा। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को मौका की कार्यवाही पूर्ण होने पर मौका से ही रुखसत किया गया। वजह सबूत श्री बजरंग सिंह हैड कानि के जरिये सुरक्षित मालखाना जमा करवाए गए। तत्पश्चात आरोपी के बीकानेर स्थित आवास की जरिये फर्द खाना तलाशी की गई। आरोपी को रात्रि सुरक्षा हेतु थाना सदर की हवालात में जमा करवाकर दोनो गवाहान को रूखस्त किया गया। दिनांक 07.01.2022 को माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय सेशन न्यायालय द्वारा आरोपी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर सम्प्रेषित किये जाने पर केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार उपर्युक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा टैक्निशियन, उत्तर पश्चिम रेलवे कार्यशाला लालगढ, बीकानेर जो दिनांक 31.07.2021 को उक्त पद से सेवानिवृत्त होने पर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एवं निजी सामान ढुलाई भत्ता देय था जिसके लिए क्लेम विधिवत रुप से परिवादी द्वारा कार्यशाला लालगढ में प्रस्तुत कर दिया था। उक्त भुगतान की एवज में आरोपी नरेंद्र सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे कार्यशाला, बीकानेर द्वारा रिश्वत की मांग करने पर परिवादी द्वारा दिनाक 29.12.2021 को ब्यूरो में लिखित शिकायत प्रस्तुत करने पर रिश्वत की मांग का दिनांक 29.12.2021 व 04.01.2022 को सत्यापन करवाया गया। इस पर आरोपी अधिकारी द्वारा 15000 रुपये रिश्वत की मांग कर परिवादी की रिक्वेस्ट पर 12000 रुपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होकर वक्त ट्रैप रिश्वती राशि 12000 रुपये से भरा लिफाफा अपने कार्यालय कक्ष की टेबल पर रखे स्वयं के टिफिन बॉक्स के नीचे रखवाकर प्राप्त किया गया। रिश्वती राशि आरोपी के कार्यालय कक्ष में रखे आरोपी के टिफिन के नीचे से बरामद की गई। वक्त लेनदेन हुई वार्ता ''परिवादी–ये साहब ले आया हूं, आरोपी–लिफाफे में लाए हो, परिवादी–हं, लिफाफे में, आरोपी–हमको मेन मजा ही लिफाफे में आता है, परिवादी–अच्छा, आरोपी–थैंक्यू अंदर रखो, परिवादी–अब साहब मेरा मैं ले आया हूं 12000, अब मेरा काम करा दो साहब, अब लेट मत करो..... ...आरोपी–टिफिन के नीचे रख दो, परिवादी–गिन लो साहब, आरोपी–हां, हां रख दो'' आदि हुई। इस प्रकार आरोपी श्री नरेंद्र सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा परिवादी के जायज कार्य की ऐवज में अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण करते हुए परिवादी राजेंद्र कुमार शर्मा से 12000 रुपये रिश्वत की मांग व उसके अनुसरण प्राप्त किए गए। आरोपी नरेंद्र सिवासिया, सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे कार्यशाला, लालगढ, जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत घटित होना पाया जाता है। अतः उपर्युक्त धाराओं में बिना नंबरी एफआईआर कता कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री नरेन्द्र सिवासिया, सहायक कार्मिक अधिकारी कार्यशाला, उ.प. रेलवे लालगढ़ बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 03/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः 14-18 दिनांकः 07.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिक्ति महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महाप्रबन्धक, उ.प.रे.,प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

7.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।